न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 27/2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र रिड़मलराम जाति कुमावत, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. मीरहसन पुत्र हासमखान जाति मुसलमान, निवासी रावड़ी चक तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर		1. करीमत पत्नी कला जाति मुसलमान, निवासी मतुओं की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादीगण — श्री ईश्वरसिंह भाटी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 10.01.2024

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल झांफलीकला के ग्राम नेगरड़ा के खेत खसरा नम्बर 323/4 रकबा 5.2609 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	ओमप्रकाश पुत्र रिड़मलराम जाति कुमावत सा. गूंगा मीरहसन पुत्र हासमखान जाति मुसलमान सा. रावड़ीचक तह0 फतेहगढ	नेगरड़ा	323/4	4.3841	बा.दो.		लाल
2	करीमत पत्नी कला जाति मुसलमान सा. मतुओं की ढाणी	नेगरड़ा	323/4	0.8768	बा.दो.		हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner